राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
राजभवन, लखनऊ।

संख्या: ई.स.–3179/जी०एस०
दिनाक: 16 मार्च, २००७

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

महोदय,

रिट याचिका संख्या–६१४३/२००७ में मा० उच्च नयायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक १२.२.२००७ के अनुपालन एवं आपके पत्रांक–पू.वि.वि./सम्ब./०७–३६/तीन/२००७/२४५३, दिनाक १२.१.२००७ एवं पत्रांक–पू.वि.वि./ सम्बद्धता/एफ– २९१३/२००७, दिनाँक १३.३.२००७ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा–३७ (२) के अधीन सुमित्रा महाविद्यालय, शेरवाँ, जौनपुर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, दर्शनशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनाँक १.७.२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१/सत्तर–२– २००३–१६(६२)/२००२, दिनाँक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरंतरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

/

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
२– निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– प्रबन्धक/प्राचार्य, सुमित्रा महाविद्यालय, शेरवाँ, जौनपुर।

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

कुलसचिव वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर को सम्बोधित विशेष सचिव महामहिम कुलाधिपति के पत्र संख्या-ई.2164/जी.एस., दिनांक-13.3.2000 की टंकित प्रति:-

आपके पत्र संख्या-9330/सम्बद्धता/2000,दिनांक-11.1.2000 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा- 37 §2§ के अधीन प्रस्तावित सुमित्रा महाविद्यालय,शेरवाँ,जौनपुर को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी,समाजशास्त्र,गृहविज्ञान,प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी,दर्शनशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक-01.7.2000 से आगामी 03 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

§1§ संस्था द्वारा महाविद्यालय में स्नातक स्तर से विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश, फीस आदि शासनादेश-1960/सत्तर-2-97§85§97,दिनांक 11.11.1997 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर लिया जायेगा । विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त महाविद्यालय को व्यवसायिक आधार पर संचालित नहीं किया जायेगा ।

§2§ उपरोक्त शासनादेश दिनांक-11.11.1997 में विनिर्दिष्ट शर्तों/मानकों के अनुसार ही महाविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती आदि की जायेगी । इस आशय का शपथ-पत्र विश्वविद्यालय को दिया जायेगा ।

§3§ संस्था छात्रों के प्रवेश सत्र 2000-2001 से ही करेगी । यदि इससे पूर्व छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी जायेगी तथा संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

§4§ संस्था इस आशं का भी शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगी ।xxxx कि विद्यार्थियों के प्रवेश लिये जाने के पूर्व संस्था द्वारा अवस्थापना के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति कर ली गयी है ।

§5§ संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक-001/सम्बद्धता/2000, दिनांक-18-7-2000

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-प्रबन्धक,प्रस्तावित सुमित्रा महाविद्यालय,शेरवाँ,जौनपुर को इस आशं से प्रेषित कि कुलपति महोदय ने प्रवेश हेतु कुल 380 सीटों पर प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान कर दी है ।

2-सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय ।

कुलसचिव